CGTMSE: गारंटी-सीमा दोगुनी और तेज़ दावा-निपटान

अर्थव्यवस्था / MSME | समाचार संदर्भ: लोक सभा उत्तर, 30 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

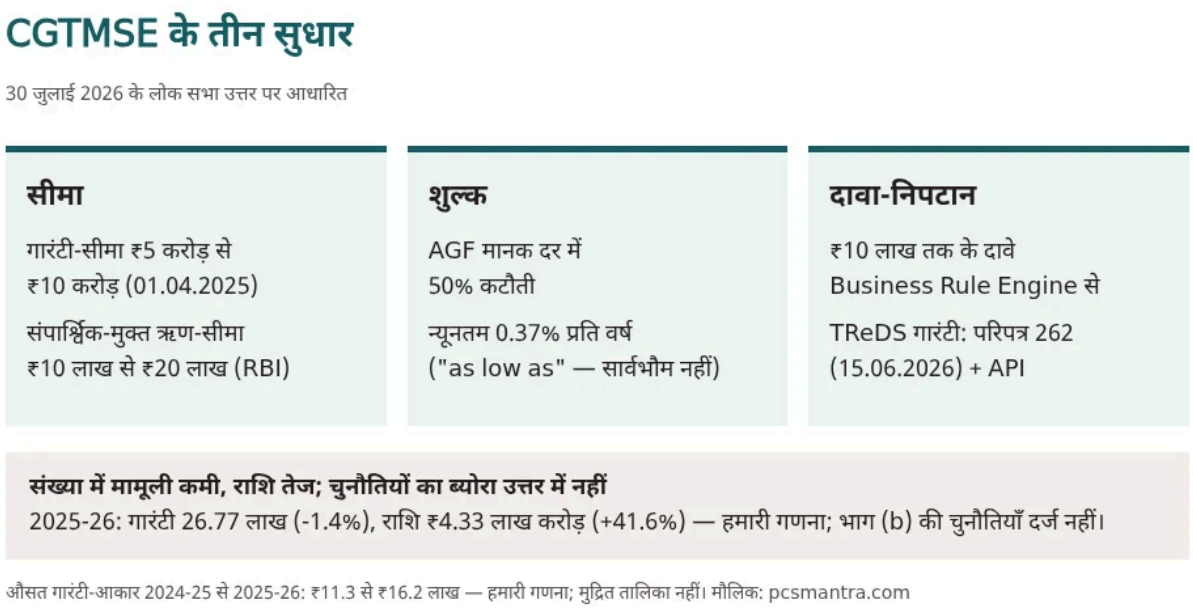
छोटे उद्यमों को बैंक-ऋण लेने में सबसे बड़ी रुकावट संपार्श्विक (गिरवी रखने लायक संपत्ति) की कमी होती है। इसी के लिए केंद्र सरकार क्रेडिट गारंटी योजना (CGS) चलाती है: सदस्य ऋण-संस्थान (बैंक, NBFC) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना संपार्श्विक ऋण देते हैं, और चूक होने पर तय हिस्सा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) उठाता है। गारंटी का अर्थ कर्ज-माफी नहीं — उधारकर्ता की चुकौती-जिम्मेदारी बनी रहती है; गारंटी बस बैंक का जोखिम घटाकर ऋण देना आसान बनाती है।

खबरों में क्यों

30 जुलाई 2026 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1899 (श्री तेजस्वी सूर्य) के उत्तर में MSME राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने CGTMSE को मजबूत करने के कदम गिनाए: गारंटी-सीमा 01.04.2025 से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़; वार्षिक गारंटी शुल्क (AGF) की मानक दर में 50% कटौती, जिससे दर 0.37% प्रति वर्ष जितनी कम हो सकती है (“as low as” — यह न्यूनतम दर है, सभी गारंटी की एकसमान दर नहीं); ₹10 लाख तक के दावे बिना हस्तक्षेप के Business Rule Engine से निपटाने की व्यवस्था; TReDS पर इनवॉइस-डिस्काउंटिंग के लिए परिपत्र 262 (15.06.2026) और API तैयार; RBI की मास्टर डायरेक्शन (09.02.2026) से संपार्श्विक-मुक्त ऋण-सीमा ₹10 लाख से ₹20 लाख; और ₹25 लाख तक के ऋणों पर 14 कार्य-दिवसों में निर्णय की सलाह। साथ में राज्य-वार तीन वर्ष और चालू वर्ष के गारंटी-आँकड़े दिए गए।

राशि बढ़ना और पहुँच बढ़ना एक बात नहीं

उत्तर के अनुलग्नक से हमारी गणना: 2025-26 में गारंटी-संख्या 26,76,789 रही — 2024-25 (27,15,275) से लगभग 1.4% कम, जबकि गारंटी-राशि ₹3,05,507 करोड़ से बढ़कर ₹4,32,547 करोड़ (+लगभग 41.6%) हुई। यानी कम संख्या में बड़ी गारंटियाँ। पर प्रश्न के भाग (b) में पूछी गई चुनौतियाँ — गारंटी-कवरेज, ऋणदाता भागीदारी, क्षेत्रीय असमानता — उत्तर में कहीं दर्ज नहीं हैं; उत्तर ने (a) से (c) को एक साथ केवल कदमों की सूची से निपटाया।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

गारंटी-सीमा और शुल्क	**CGS के तहत ऋण की गारंटी-सीमा 01.04.2025 से ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़। AGF संरचना संशोधित — मानक दर में 50% कटौती, दर 0.37% प्रति वर्ष जितनी कम ("as low as")। उत्तर के शब्दों में यह न्यूनतम संभव दर है; यह न कहें कि हर गारंटी अब 0.37% पर है।**
दावा-निपटान और TReDS	₹10 लाख तक के लंबित दावे system-based Business Rule Engine से बिना मैन्युअल हस्तक्षेप निपटते हैं; ₹10 लाख से ऊपर के दावे भी CGTMSE पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया में। TReDS प्लेटफॉर्म पर इनवॉइस-डिस्काउंटिंग की गारंटी के लिए परिपत्र 262 (15.06.2026) जारी; कार्यान्वयन के लिए API भी विकसित।
कुल गारंटी (उत्तर के अनुलग्नक से)	गारंटी-संख्या: 17,24,073 (2023-24), 27,15,275 (2024-25), 26,76,789 (2025-26), 5,18,587 (2026-27, 30.06.2026 तक)। राशि: ₹2,02,807 करोड़, ₹3,05,507 करोड़, ₹4,32,547 करोड़ और ₹1,01,687 करोड़। हमारी गणना से औसत गारंटी-आकार: लगभग ₹11.8 लाख, ₹11.3 लाख, ₹16.2 लाख और ₹19.6 लाख — बढ़ता हुआ।
राज्य-वार फैलाव और बेंगलुरु	2025-26 में राशि के शीर्ष राज्य (हमारी गणना): महाराष्ट्र ₹59,178 करोड़, उत्तर प्रदेश ₹46,876, गुजरात ₹40,110, तमिलनाडु ₹30,072, कर्नाटक ₹28,673 — कुल ₹2,04,909 करोड़, छपे कुल का लगभग 47%। दूसरे छोर पर लक्षद्वीप केवल 51 गारंटी। बेंगलुरु में 2025-26: 47,900 गारंटी, ₹15,821 करोड़ — कर्नाटक की संख्या का लगभग 32% और राशि का लगभग 55% (हमारी गणना)।

व्यवस्था कैसे काम करती है?

गारंटी का तंत्र: सदस्य ऋण-संस्थान नए और मौजूदा MSE को ऋण देते हैं; चूक पर तय हिस्सा CGTMSE उठाता है। बैंक का जोखिम घटने से संपार्श्विक के बिना ऋण देना संभव होता है। यह अनुदान या छूट नहीं — उधारकर्ता को पूरा ऋण चुकाना है; सरकारी खर्च केवल चूक की स्थिति में आता है।

उत्तर में गिनाए सात कदम: गारंटी-सीमा ₹10 करोड़; AGF में कटौती; BRE-आधारित दावा-निपटान; TReDS परिपत्र 262 और API; बैंकों को MSE ऋण-नीति सुव्यवस्थित करने की सलाह (अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, मध्यावधि समीक्षा, निर्धारित निर्णय-समय); संपार्श्विक-मुक्त ऋण-सीमा ₹20 लाख (RBI मास्टर डायरेक्शन 09.02.2026); ₹25 लाख तक ऋण पर 14 कार्य-दिवसों में निर्णय की सलाह।

सलाह बनाम बाध्यता: ध्यान दें: 14 कार्य-दिवस की सीमा बैंकों के लिए "सलाह" (advised) के रूप में छपी है; ₹25 लाख से ऊपर के ऋणों पर समय-सीमा बोर्ड-स्वीकृत मानदंडों पर छोड़ी गई है। यानी समय की गारंटी सभी ऋणों पर लागू नियम नहीं।

आँकड़ों को सही पढ़ना

संख्या बनाम राशि: 2025-26 में गारंटी-संख्या घटी (-1.4%, हमारी गणना) और राशि बढ़ी (+41.6%)। औसत गारंटी-आकार ₹11.3 लाख से ₹16.2 लाख हुआ। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि छोटी या पहली बार की इकाइयों को ज्यादा ऋण मिला — वह विभाजन उत्तर में नहीं है।

कुलों की हमारी जाँच: 36 राज्य/केंद्र-शासित पंक्तियों का योग: गारंटी-संख्या के चारों स्तंभ छपे कुल से ठीक मिलते हैं। राशि में 2025-26 ठीक मिलता है; 2023-24 का योग छपे कुल से ₹2 करोड़ अधिक, 2024-25 का ₹2 करोड़ कम और 2026-27 (Q1) का ₹3 करोड़ कम आता है। उत्तर इन छोटे अंतरों का कारण नहीं बताता; हमने इन्हें जस का तस दर्ज किया है, ठीक नहीं किया।

दादरा-नगर हवेली पंक्ति की छपाई: अनुलग्नक में क्रमांक 32 (दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव) की 2023-24 की संख्या "1039" और राशि "277" बिना हजार-अल्पविराम छपी है — बाकी पंक्तियों से अलग छपाई-शैली। पृष्ठ-छवि से यही पुष्टि हुई; योग में हमने 1,039 और 277 ही लिए।

किन निष्कर्षों से बचना चाहिए?

कदमों की सूची = चुनौतियों का उत्तर नहीं: प्रश्न के भाग (b) ने कार्यान्वयन-चुनौतियाँ पूछीं — गारंटी-कवरेज, ऋणदाता भागीदारी, क्षेत्रीय असमानता। उत्तर में चुनौतियों का कोई ब्योरा नहीं; केवल कदम गिनाए गए। क्षेत्रीय असमानता केवल हमारी गणना से दिखती है — 2025-26 में उत्तर प्रदेश 5,46,792 गारंटी बनाम लक्षद्वीप 51।

राशि = वितरण या पहुँच नहीं: अनुलग्नक के आँकड़े "guarantees approved" के हैं — स्वीकृत गारंटी, वास्तविक ऋण-वितरण या चालू बकाया नहीं। औसत आकार बढ़ना बड़ी गारंटियों का बढ़ना दिखाता है, पर यह नहीं बताता कि गारंटी किन आकार की इकाइयों तक पहुँची।

न्यूनतम दर = सार्वभौम दर नहीं: "0.37% जितनी कम" AGF की न्यूनतम संभव दर है। किसी गारंटी पर वास्तविक दर उसकी श्रेणी पर निर्भर करेगी; उत्तर स्लैब-वार पूरी दर-तालिका नहीं देता।

पठन की सीमा: हमने प्रश्न-उत्तर के तीनों पृष्ठ (पाठ और छवि) पूरे पढ़े। CGTMSE की वार्षिक रिपोर्ट, दावों के वास्तविक निपटान-समय के आँकड़े, TReDS एकीकरण के उपयोग-आँकड़े और RBI की मूल मास्टर डायरेक्शन नहीं पढ़ी गईं; उन पर टिप्पणी इस लेख के दायरे से बाहर है।

आगे की राह

हमारा नीति-सुझाव है कि भाग (b) जैसे सीधे सवालों का सीधा उत्तर दिया जाए: गारंटी-कवरेज और ऋणदाता भागीदारी की चुनौतियों का दर्ज विश्लेषण सार्वजनिक हो। CGTMSE ऋणदाता-वार और इकाई-आकार-वार गारंटी-विभाजन प्रकाशित करे,

ताकि पता चले कि बढ़ती राशि छोटी और नई इकाइयों तक पहुँच रही है या नहीं। दावा-निपटान के वास्तविक समय (औसत और माध्यिका दिन) और TReDS गारंटी के उपयोग-आँकड़े नियमित दिए जाएँ। राज्य-वार असमानता पर लक्ष्य-आधारित आउटरीच हो।

अवधारणा में अंतर

गारंटी ≠ अनुदान या कर्ज-माफी। स्वीकृत गारंटी ≠ वास्तविक ऋण-वितरण। "0.37% जितनी कम" ≠ सभी गारंटी की दर। पंक्तियों का योग ≠ छपा कुल (राशि के तीन स्तंभों में ₹2-3 करोड़ का अंतर, कारण उत्तर में नहीं)। 14 कार्य-दिवस की सलाह ≠ सभी ऋणों पर बाध्यकारी समय-सीमा।

मेंस दृष्टि

GS-III: अर्थव्यवस्था, MSME और वित्तीय समावेशन। उत्तर में तंत्र (गारंटी = जोखिम-साझा), सुधार (सीमा, शुल्क, BRE, TReDS, RBI सलाह) और सीमा (चुनौतियों का अनुत्तरित भाग, असमानता, राशि बनाम पहुँच) तीनों रखें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

क्रेडिट गारंटी योजनाएँ MSME को संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिलाने की दिशा में पर्याप्त हैं या इनकी सफलता का आकलन अलग आँकड़ों की माँग करता है? 30 जुलाई 2026 के संसदीय उत्तर के आलोक में टिप्पणी कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: गारंटी-तंत्र।

मुख्य भाग में: सुधारों की सूची; संख्या बनाम राशि (हमारी गणना); कुलों की जाँच; चुनौतियों का अनुत्तरित भाग (b) और क्षेत्रीय असमानता; सुझाव।

निष्कर्ष में: बढ़ती गारंटी-राशि को अधिक इकाइयों तक पहुँच का प्रमाण न मानें; इकाई-आकार, ऋणदाता, राज्य और दावा-निपटान के आँकड़ों से छोटी व नई इकाइयों तक लाभ और क्षेत्रीय असमानता परखें।

स्रोत

- लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1899, उत्तर 30.07.2026 (तीन पृष्ठ, अनुलग्नक सहित)

आँकड़े 30 जुलाई 2026 के लोक सभा उत्तर और उसके अनुलग्नक से लिए गए हैं। गारंटी-संख्या के स्तंभ छपे कुलों से ठीक मिलते हैं (हमारी गणना); राशि के तीन स्तंभों में पंक्तियों के योग और छपे कुल में ₹2-3 करोड़ का अंतर है — उत्तर कारण नहीं बताता, हमने अंतर जस का तस दर्ज किया है। "0.37%" AGF की न्यूनतम संभव दर के रूप में छपी है। औसत आकार, प्रतिशत-बदलाव, शीर्ष-राज्य हिस्सा और बेंगलुरु-अनुपात हमारी गणना है। भाग (b) की चुनौतियाँ उत्तर में दर्ज नहीं; यह अंतर जस का तस दर्ज है।

यह भी पढ़ें: MSME ऋण-खाते: संख्या घटी, बकाया ऋण बढ़ा।

याद रखें: गारंटी-तंत्र सुधर रहा है — सीमा दोगुनी, शुल्क घटा, दावे तेज़ — पर "पहुँच किस तक और किस रफ्तार से" का जवाब सुधारों की सूची से नहीं, विभाजित आँकड़ों से मिलेगा; चुनौतियों का दर्ज ब्योरा भी सार्वजनिक जवाबदेही का हिस्सा है।